UP PCS-J (Mains) 2013

Hindi · compulsory paper

3. Translate the following passage into English: 40 Marks

महिला सशक्तीकरण के लिये पिछले कुछ दशकों में कई कानून बनाये गये हैं। पहला क्रांतिकारी कदम 1955-56 में उठाया गया जब हिन्दू विवाह अधिनियम में महिला को पुरुष के समकक्ष रखा गया और पैतृक सम्पत्ति में भी उसे थोड़ा हक दिया गया। फिर 1980 के दशक में और कई कानून बनाये गये। अब केन्द्र सरकार ने तलाक को सरल बनाने एवं स्त्रियों को पति की जायदाद में हक दिलाने के लिये हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 तथा विशेष विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित संशोधनों में एक प्रमुख प्रावधान यह है कि पत्नी को पति की पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा दिया जाएगा और यदि उसका विभाजन संभव न हो तो उसमें पति के हिस्से का मूल्यांकन कर उसे भरपूर मुआवजा दिया जाएगा। इस प्रावधान का विरोध भी शुरु हो गया है। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ऐसा हक देने से तलाक के मामले बढ़ेंगे, जिससे भारतीय परिवार व्यवस्था के परंपरागत मूल्य प्रभावित होंगे।